संख्या-28/2015/1090/38-4-15-29(विविध)/2013

प्रेषक,

आकाश दीप,
विशेष सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उ0 प्र0, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-4 **लखनऊः दिनांक 11 अगस्त, 2015**

विषयः- इन्दिरा आवास योजना के क्रियान्वयन का थर्ड पार्टी मूल्यांकन कराये जाने के संबंध में वित्तीय स्वीकृति दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-1069/वि0का0/इं0आ0यो0/2015/008, दिनांक-31 जुलाई, 2015 तथा शासन के पत्र संख्या: 168/38-4-15-29(विविध)/2013, दिनांक 05-2-2015 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इन्दिरा आवास योजना के क्रियान्वयन का थर्ड पार्टी मूल्यांकन प्रदेश के 10 जनपदों में गिरि विकास अध्ययन संस्थान अलीगंज, लखनऊ द्वारा किया जाना है। इस पर कुल व्यय लागत रू0 13,28,800.00 की धनराशि प्रस्तावित है। प्रस्तावित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत हेतु वित्त विभाग के शासनादेश संख्या: ए-1-2774/दस-15-1(1)-69, दिनांक 25.10.1983 एवं शासनादेश संख्या: ए-1-235/दस-2011-15/1(1)-69 दिनांक 10.06.2011 के दिशा-निर्देशों के अनुसार अग्रिम भुगतान हेतु अधिकतम रू0 5.00 लाख तक की स्वीकृति प्रदान की जा सकती है। अतएव 50 प्रतिशत के रूप में रू0 6,64,400.00 के सापेक्ष योजना के प्रशासनिक मद में प्राविधानित/उपलब्ध धनराशि से अग्रिम धनराशि रू0 5,00,000.00 (रूपये पांच लाख मात्र) गिरि विकास अध्ययन संस्थान, अलीगंज, लखनऊ को प्रदान किये जाने की प्रशासकीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के साथ प्रदान करते है:-

(1)- स्वीकृत की जा रही इस धनराशि का उपयोग अनुमन्य धनराशि की सीमा तक ही किया जायेगा।

(2)- स्वीकृत की जा रही इस धनराशि का प्रस्तावित कार्यो में भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन ही व्यय किया जायेगा तथा धनराशि पर यदि कोई ब्याज अर्जित किया जाता है तो उसे नियमानुसार राजकोष के खाते में जमा करा दिया जायेगा।

2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(3)- इस शासनादेश में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन विभाग में तैनात वित्त नियंत्रक/ लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, के द्वारा किया जायेगा। वित्तीय वर्ष के अन्त में यदि कोई भी धनराशि अवशेष बचती है तो इसे वर्तमान वित्तीय वर्ष में ही वित्त विभाग को समर्पित किया जायेगा।

2- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशानिक विभागों को अग्रिम आहरण के लिये प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन तथा समय-समय पर जारी होने वाले शासनादेशों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आकाश दीप)
विशेष सचिव।

संख्या-28/2015/1090 (1)/38-4-2015, तद्दिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी।
3- अपर आयुक्त(लेखा), ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।
4- सम्बन्धित जनपद के मुख्य विकास अधिकारी/परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश।
5- संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
6- सम्बन्धित जनपद के मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
8- राज्य योजना आयोग अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-4
9- ग्राम्य विकास अनुभाग-3
10- गार्डबुक।

आज्ञा से,

(उमा कान्त मिश्र)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in